2016 का विधेयक संख्यांक 325

[दि कांस्टिटयूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिंदी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में से भोगता समुदाय का लोप करने को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 और असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और संशोधन ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ; और इस अधिनियम के प्रारंभ के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश

का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के लिए उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6क – झारखंड में की प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा । सं.आ.19

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

3. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,-- सं.आ.20

(क) भाग-2 में – असम –

(i) पैरा I में, प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"16. बोरो, बोरो कछारी, बोडो, बोडो कछारी" ;

(ii) पैरा II में, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"15. करबी (मिकिर)" ;

(ख) भाग 14 में – तमिलनाडु,–

(i) प्रविष्टि 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"25. मल्याली गाउंडर" ;

(ii) प्रविष्टि 36 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"37. नरीकोरावन, कुरीविक्करन" ;

(ग) भाग 15 में – त्रिपुरा में, प्रविष्टि 9 की मद सं. (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(iiiक) डार्लोंग";

(घ) भाग 20 में – छत्तीसगढ़, –

(i) प्रविष्टि 5 में, "भारिया भूमिया" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"भूईया, भूईयां, भूयां" ;

(ii) प्रविष्टि 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"14. धनवार, धनुहार, धनुवार" ;

(iii) प्रविष्टि 32 और 33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"32. नगेसिया, नागासिया, किसान

33. उरांव, धानका, धांगड़" ;

(iv) प्रविष्टि 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"41. सवर, सवरा, सौंरा, संवरा" ;

(ङ) भाग 22 में – झारखंड,–

(i) प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"16. खरवार, भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी, खेरी" ;

(ii) प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"33. पुरान ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1950 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां अधिसूचित की गई थीं । इन अनुसूचियों में समय-समय पर उपांतरण किया गया था । समय-समय पर असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जनजातियों या जनजाति समुदायों के, कतिपय जनजातियों या समुदायों के समतुल्य नामों या समानार्थी नामों को सम्मिलित करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

2. तद्नुसार, संबंधित राज्य सरकारों, भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात् असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में उपांतरण प्रस्तावित हैं ।

3. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 में प्रस्ताव है कि–

(i) झारखंड राज्य के संबंध में "भोगता" समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अंतरित करना ;

(ii) असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करना ।

4. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 नवंबर, 2016

जोएल ओराम

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कतिपय समुदायों के साथ-साथ समानार्थी समुदायों को सम्मिलित करने के लिए है । इससे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चल रही स्कीमों के अधीन ऐसे समुदायों के व्यक्तियों को उपलब्ध होने वाले फायदों के मद्दे अतिरिक्त व्यय होगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस मद्दे प्रोद्भूत होने वाले संभावित अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, जनजातीय मामले मंत्रालय की वार्षिक योजना और गैर योजना परिव्यय में सौकर्य होगा ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

* * * * *

भाग 6क - झारखंड

* * * * *

3. हेयर, मेहतर, भंगी

* * * * *

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 22) से उद्धरण

* * * * *

भाग 14--तमिलनाडु

* * * * *

25. मल्याली (धर्मपुरी उत्तरी अर्काट, पुडुकोटटाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरूचिरापल्ली जिलों में)

* * * * *

भाग 20--छत्तीसगढ़

* * * * *

14. धनवार

* * * * *

32. नगेसिया, नागासिया

33. उरांव, धानका, धनगढ़

* * * * *

41. सवर, सवरा

* * * * *

भाग 22--झारखंड

* * * * *

16. खारवार

* * * * *

32. कोल ।

* * * * *

GMGIPMRND—3812LS(CRC)—08-12-2016.